न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2022/458

1. अर्जून पुत्र बद्रीनारायण मीणा, निवासी मानोता, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामस्वरूप
2. रामनिवास
3. सीताराम समस्त पुत्रान कल्याण, जाति मीना, निवासी मानोता, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
4. छीतर
5. नैहनुराम
6. रामजीलाल
7. रामपाल
8. कृष्ण

   समस्त पुत्रान लक्ष्मीनारायण, जाति मीना, निवासी मानोता, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्टस

10. गोपाल पुत्र ग्यारसा
11. मन्नाराम पुत्र ग्यारसा
12. हीरालाल पुत्र सीताराम

    समस्त जाति मीना, निवासी मानोता, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर दिनांक 08.07.22 उनवानी रामस्वरूप व अन्य बनाम अर्जुन व अन्य प्रकरण संख्या 74/2022 जो प्रार्थना पत्र अ0 धारा 128 में किया गया है।

उपस्थित—

1. श्री लालचन्द जाट , वकील अपीलान्ट
2. श्री अमित कुमार बेनीवाल, रेस्पों.नं. 1 से 8 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पो.नं. 9 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट नं. 10 से 12 की ओर कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 03.01.2024

1. यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 08.07.22 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर में इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृष्ठि भूमि खसरा नं. 231 रकबा 8.8515 भूमि स्थित ग्राम तन मानोता पटवार हल्का मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमियां प्रार्थीगण की भूमि के लगवा स्थित है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा भूमि की सीमा को लेकर वाद विवाद करते रहते है तथा आये दिन प्रार्थीगण को

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हैरान व परेशान करते रहते है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण व उनके परिवारजन आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमा को लेकर वाद विवाद करते रहते है तथा प्रार्थीगण की भूमि की सीमा को लेकर वाद विवाद करते रहते हैं तथा प्रार्थीगण की भूमि में प्रवेश कर अतिक्रमण करने की कुचे टा कर रहे है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 24.05.2022 को करवा चुके है लेकिन अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान चिन्हीकरण को न मानते हुये तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान होने के उपरान्त भी आये दिन हैरान परेशान करते रहते है। जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि की पुख्ता पत्थरगढी करवाकर सीमा चिन्हीत करवा सके तथा जिससे की भविष्य्य मे किसी प्रकार का सीमा विवाद उत्पन्न ना हो। प्रार्थीगण की भूमि के सीमा पर पुख्ता निशानात नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को आकर कहने लगा कि उक्त भूमि के कोई पुक्षता निशानात नहीं होगे तब तक हम यहा पर तार फेन्सींग या पुख्ता निशानात कायम नहीं करने देंगे। तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर हमेशा वाद विवाद की सम्भावना रहती है तथा प्रार्थीगण की भूमि में अप्रार्थीगण अनाधिकृत प्रवेश करने व अतिक्रमण करने की कोशिशर करते रहते है। प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड के मुताबिक मौके पर पत्थरगढी करवाना जाना आवश्यक है। आराजीयात के चारों तरफ (चारो दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता के साथ टीम गठित कर पत्थरगढी करने के आदेश फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार जमवारामगढ को निर्देश दिये गये कि ग्राम मानोता के ख.नं. 231 परि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो उक्त भूमि की पत्थरगढी दोनों पक्षों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2022 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 08.07.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट अर्जून पुत्र बद्रीनारायण मीणा, द्वारा यह अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर दिनांक 08.07.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय परवर्ष आर्बीट्रेरी एण्ड कान्ट्रेरी टू लॉ होने के कारण निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रकरण को बिना देखे व समझे वगैर वास्तविक तथ्यों व स्थापित विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। यह कि प्राकृतिक न्यायाशास्त्र के मूल सिद्वान्त (सुनवाई का अधिकार) के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित किये जाने से पूर्व सुनवाई का समुचित व पूर्ण अवसर दिया जाना कानूनन आवश्यक होता है। रेस्पोडेन्टस 1 लगायत 8 द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलान्टस को कतई सुनवाई का कोई मौका नही दिया गया, जबकि योग्य अधिनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए पत्थरगढी आदेश पारित किये जाने से पूर्व हित प्रभाव एवम् प्रभावित पक्षकारान है जिनके विरूद्ध आदेश पारित किया जाना है उन्हें सुनवाई का समुचित व पूर्ण न्यायोचित अवसर प्रदान कर जवाब साक्ष्य सबूत प्राप्त करके ही मैरिट्स पर निर्णय करते, योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा नही करके आनन फानन में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो हर सुरत मे निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.06.2022 को रेस्पोडेन्ट 01 लगायत 08 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का पेश किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नोटिस जारी कर दिनांक 14.06.2022 नियत की गई। दिनांक 14.06.2022 को अधिवक्ता संघ द्वारा कार्य बहिष्कार करने पर दिनांक 08.07.2022 पेशी नियत की गई तथा 08.07.2022 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया गया कि "पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 04.06.2022 को कराई गई किन्तु आज दिनांक तक अनुपस्थित वकील प्रार्थी ने ट्रेक रिपोर्ट पेश की इन्तजार हेतु दिनांक 12.07.2022 को पेश हो" इस प्रकार योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तजार तामिल हेतु दिनांक 12.07.2022 नियत कर दी गई। जबकि योग्य अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट अर्जून की तरफ से एडवोकेट श्री रामकरण शर्मा, रमेश शर्मा का वकालतनामा दिनांक 14.06.2022 को प्रस्तुत कर दिया गया था जिसके सम्बन्ध में दिनांक 14.06.2022 की आदेशिका में कतई कोई अंकन नही किया जाकर दिनांक 08.07.2022 को अनुपस्थिती दिखाई जाकर 12.07.2022 नियत कर दी गई थी। जिसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने मनमर्जीपूर्वक बेकडेट में दिनांक 08.07.2022 को ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 08 को नाजायज लाभ पहुचाने की गरज से अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 14.06.2022 को वकालतनामा प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद भी एवं तारीख पेशी नियत किये जाने के पश्चात मनमर्जी से आदेशिका में पुनश्चयः करते हुये अपीलान्ट की तामिल मानकर एकतरफा कार्यवाही कर अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का कतई कोई अवसर प्रदान नही किया तथा बिना अपना न्यायिक माईण्ड अपलाई किये पत्रावली में शामिल वकालतनामा को भी देखे बगैर बिना किसी भी विनिश्चय के आनन फानन में बेकडेट मे जाकर दिनांक 08.07.2022 को बिना गुणावगुण पर गये व अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही मनमर्जी से अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध एडवोकेटस् बार एसोसियेशन जमवारामगढ जयपुर द्वारा दिनांक 19.07.2022 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर को अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी श्री चिमन लाल मीणा के विरूद्ध न्यायिक कार्य करने की अक्षमता एवं अधिवक्ताओ के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार रखने व भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने से व्यथित होकर तबादला अन्य जगह करने का निवेदन किया था व यह भी निवेदन किया था कि पत्रावलियों में आगामी तारीख पेशी दिये जाने व आदेशिका लिख देने एवं पक्षकारों का आगामी तारीख पेशी देने के पश्चात अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण उन पत्रावलियों को तारीख से पूर्व ही फैसल कर दिया जाता है। इस प्रकार योग्य अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की मंशा स्पष्ट रूप से जाहिर होती है कि वे रेस्पोडेन्टस 01 लगायत 08 को नाजायज लाभ पहुचाना चाहते थे इसलिये सभी विधिक प्रावधानों को ताक में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया है। इसलिए यह निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरित पारित किया गया निर्णय है जो निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। इसलिए भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरित अपीलान्टस को बिना सुने व बिना सुनवाई का अवसर दिये बगैर निर्णय पारित किया गया है जो नेचुरल जस्टिस की श्रेणी मे नही आता है। जो जल्दबाजी मे बेकडेट में किया गया निर्णय है। जो इस तथ्य से भी जाहिर है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्टस 01 लगायत 08 के अधिवक्ता का जो वकालतनामा श्री बी. एल. शर्मा का प्रस्तुत किया गया है उस पर न तो दिनांक अंकित है और न ही अधिवक्ता महोदय के हस्ताक्षर ही है। इसलिये दिनांक 08.07.2022 को प्रकरण अपीलान्टस की अनुपस्थिती दिखाई जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है के बजाय रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण के अधिवक्ता के बिना हस्ताक्षर के वकालतनामे व बिना उपस्थिती के अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होना चाहिये था। ऐसा होते हुये भी अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा नं. 231 की पत्थरगढी किये जाने का मनमाना व प्राकृतिक न्याय शास्त्र के मूल सिद्धान्तों के विपरित जाकर निर्णय पारित कर दिया। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी मे रेस्पोडेन्ट 01 लगायत 08 को नाजायज

संभागीय आयुक्त
जयपुर

लाभ पहुचाने की गरज से किया गया निर्णय है, इसलिए भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय की अपीलान्टस के अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा जो कि बार एसासियेशन के अध्यक्ष है तथा पीठासीन अधिकारी के खिलाफ उच्च अधिकारीयों से शिकायत की है के खिलाफ बदनियति होने के कारण श्री रामकरण शर्मा का वकालतनामा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 14.06.2022 को पेश कर दिये जाने के पश्चात भी व आगामी पेशी 12.07.2022 दिये जाने के पश्चात बेकडेट में रंजिश व बदनियतीपूर्वक, मनमर्जी से आदेशिका में पुनश्चय करते हुये कांट छांट कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी से किया गया निर्णय है। जिससे अपीलान्टस को अपना पक्ष रखने का अवसर ही प्राप्त नही हुआ, कानूनी प्रावधानों के अनुसार बिना सुने व बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर कोई निर्णय व आदेश पारित नही किया जा सकता, जिसके सम्बन्ध मे माननीय राजस्व मण्डल व अन्य मान्य न्यायालयों द्वारा आर आर डी 1984 पेज 45 व पेज 111 में मान्य राजस्व मण्डल द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि त्नसम वि नकप सजमतंउ चंतजमउ.छव वदम बंद इम बवदकमउदमक नदीमंतक इंपब चतपदबपचसम वि दंजनतंस रनेजपबम ऐसा होते हुए भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने भूमि विवादग्रस्त के सीमाजोड पक्षकारान अपीलान्ट जो कि खसरा नं. 195 व 230 का खातेदार है को बिना सुने ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। इसलिए भी अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे। यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने एकतरफा केवल मात्र विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किये गये असत्य तथ्यों को ही सही मानकर रेस्पोडेन्ट 01 लगायत 08 को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से व निजी स्वार्थ के कारण आनन फानन में बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो अधिनस्थ न्यायालय की कार्यशैली व अक्षमता जाहिर करती है जो कि न्याय शास्त्र के मूल सिद्वान्तों के विपरित है। इसलिए भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर दिनांक 08.07.22 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर में इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 231 रकबा 8.8515 भूमि स्थित ग्राम तन मानोता पटवार हल्का मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमियां प्रार्थीगण की भूमि के लगवा स्थित है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा भूमि की सीमा को लेकर वाद विवाद करते रहते है तथा आये दिन प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करते रहते है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण व उनके परिवारजन आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमा को लेकर वाद विवाद करते रहते है तथा प्रार्थीगण की भूमि की सीमा को लेकर वाद विवाद करते रहते हैं तथा प्रार्थीगण की भूमि में प्रवेश कर अतिक्रमण करने की कुचेष्टा कर रहे है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 24.05.2022 को करवा चुके है लेकिन अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान चिन्हीकरण को न मानते हुये तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान होने के उपरान्त भी आये दिन हैरान परेशान करते रहते है। जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि की पुख्ता पत्थरगढी करवाकर सीमा चिन्हीत करवा सके तथा जिससे की भवि य मे किसी प्रकार का सीमा विवाद उत्पन्न ना हो।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थीगण की भूमि के सीमा पर पुख्ता निशानात नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को आकर कहने लगा कि उक्त भूमि के कोई पुक्षता निशानात नहीं होगे तब तक हम यहा पर तार फेन्सींग या पुख्ता निशानात कायम नहीं करने देंगे। तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर हमेशा वाद विवाद की सम्भावना रहती है तथा प्रार्थीगण की भूमि में अप्रार्थीगण अनाधिकृत प्रवेश करने व अतिक्रमण करने की कोशिशर करते रहते है। प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड के मुताबिक मौके पर पत्थरगढी करवाना जाना आवश्यक है। आराजीयात के चारों तरफ (चारो दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता के साथ टीम गठित कर पत्थरगढी करने के आदेश फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार जमवारामगढ को निर्देश दिये गये कि ग्राम मानोता के ख.नं. 231 परि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो उक्त भूमि की पत्थरगढी दोनों पक्षों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2022 पारित किये गये हैं। सीमाज्ञान में क्या समस्या है। केवल खसरा की सीमा तय हो रही है, अधिकार तय नहीं हो रही है।

7. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 9 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी सहखातेदरान् को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 में अपीलान्ट को न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। तहत न्यायालय द्वारा एकतरफा में रेस्पोडेन्ट के कथन को सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। रेस्पोडेन्ट की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की आराजी खसरा नं. 195 व 230 स्थित है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.06.2022 को रेस्पोडेन्ट 01 लगायत 08 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का पेश किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी कर दिनांक 14.06.2022 नियत की गई। दिनांक 14.06.2022 को अधिवक्ता संघ द्वारा कार्य बहिष्कार करने पर दिनांक 08.07.2022 पेशी नियत की गई तथा 08.07.2022 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया गया कि "पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 04.06.2022 को कराई गई किन्तु आज दिनांक तक अनुपस्थित वकील प्रार्थी ने ट्रेक रिपोर्ट पेश की इन्तजार हेतु दिनांक 12.07.2022 को पेश हो" इस प्रकार योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तजार तामिल हेतु दिनांक 12.07.2022 नियत कर दी गई। जबकि योग्य अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट अर्जून की तरफ से एडवोकेट श्री रामकरण शर्मा, रमेश शर्मा का वकालतनामा दिनांक 14.06.2022 को प्रस्तुत कर दिया गया था जिसके सम्बन्ध में दिनांक 14.06.2022 की आदेशिका में कतई कोई अंकन नही किया जाकर दिनांक 08.07.2022 को अनुपस्थिती दिखाई जाकर 12.07.2022 नियत कर दी गई थी। जिसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने बेकडेट में दिनांक 08.07.2022 को ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 08 को अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 14.06.2022 को वकालतनामा प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद भी एवं तारीख पेशी नियत किये जाने के पश्चात आदेशिका में पुनश्चयः करते हुये अपीलान्ट की तामिल मानकर एकतरफा कार्यवाही कर अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान नही किया तथा बिना अपना न्यायिक माईण्ड अपलाई किये पत्रावली में शामिल वकालतनामा को भी देखे बगैर बिना किसी भी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

विनिश्चय के आनन फानन में बेकडेट मे जाकर दिनांक 08.07.2022 को बिना गुणावगुण पर गये व अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही मनमर्जी से अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है।

अतः—अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर दिनांक 08.07.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।